आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक–30 / 04 / 2017.

क्रमांक– 1345 / 103 / आउशि / सम्बद्धता / 17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय / समिति) के द्वारा प्रस्तुत / विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 578 / 999 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15 / 03 / 2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15 / 03 / 2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10 / 04 / 2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000 / – के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3.द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों / दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	लोक शिक्षण एवं संस्थान सिरमोर रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	श्री यमुना प्रसाद शास्त्री महा.0 सेमरिया रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	-----
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	एम0एससी0.–उत्तरार्द्ध– केमिस्ट्री बी0सी0ए0–द्वितीय
5	आदेश कमांक – 578 / 999 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15 / 03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	विवि की संबद्धता, कालेज कोड 28 की नियुक्ति दस्तावेज, वर्तमान सत्र की आडिट रिपोर्ट, बैंक से वेतन भुगतान का प्रमाण नहीं, गतवर्ष में लगाई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज, ईपीएफ आदि के दस्तावेज अप्राप्त
6	आदेश दिनांक 10 / 04 / 2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	कार्यालयीन पत्र दि0 15 / 03 / 2017 के परिपेक्ष में संस्था द्वारा नियमानुसार दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की गई है।

––––2.

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है, संबंधित विषय में पूर्व से 02 नियुक्तियां है।	
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	एम0एससी0.–उत्तरार्द्ध– केमिस्ट्री बी0सी0ए0–द्वितीय
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	---- निरंक----

4. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि, संस्था द्वारा एक माह में कॉलेज कोड 28 में अपेक्षित समस्त नियुक्तियां अनिवार्य रूप से कर ली जाय अन्यथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त माना जायेगा।

5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

6. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक– 1346/103/आउशि/सम्बद्वता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा , (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

-----की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक–30 / 04 / 2017.

क्रमांक– 1355/322/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इरीस कार्यालय के आदेश कमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	टाटा कालेज एवं सामाजिक विकास समिति, रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	टाटा शिक्षा महा0 रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0 प्रथम हिन्दी, कम्प्यूटर, समाज, इतिहास , भूगोल राजनीति, बी0एस0सी0 प्रथम बाटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बी0काम0 प्रथम/ कम्प्यूटर
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	––
5	आदेश कमांक – 578/999/ आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	वर्तमान सत्र की आडिट रिपोर्ट, भवन वृद्धि के दस्तावेज, छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क का विवरण, ईपीएफ कटोत्रा, वेतन भुगतान बैंक द्वारा किए जाने का विवरण पत्रक, नवीन सदस्यों की धारा –27 की अनुमोदित सूची, कालेज कोड 28 में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	संस्था में पूर्व से बी0एड पाठ्यक्रम संचालित है। मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.6 अन्य आवश्यक मानदण्ड की उप कंडिका 6–में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक महाविद्यालय के लिये अपना

––––2.

		स्वयं अथवा 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज/किराये का पृथक भवन एवं परिसर अनिवार्य होगा, जिसमें कोई अन्य संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। यदि समिति उसी महाविद्यालय परिसर में अन्य पाठ्यक्रम एनसीटीई/बीसीआई आदि से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करती है तो परिसर में पृथक–पृथक भवन/स्टाफ आदि की अनिवार्य व्यवस्था की पुष्टि पर ही अनुमति/अनुशंसा दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अतः इस नियम की पूर्ति नहीं होने से प्रकरण अमान्य।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था में पूर्व से बी0एड पाठ्यक्रम संचालित है। मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.6 अन्य आवश्यक मानदण्ड की उप कंडिका 6 की पूर्ति नहीं होने से प्रकरण अमान्य।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	

आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	---- निरंक----
आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0 प्रथम हिन्दी, कम्प्यूटर, समाज, इतिहास , भूगोल राजनीति, बी0एस0सी0 प्रथम बाटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बी0काम0 प्रथम/ कम्प्यूटर

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक– 1356/322/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।

3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।

4– कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा , (म0प्र0)।

5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।

6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

----की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक–30 / 04 / 2017.

क्रमांक–1349 / 189 / आउशि / सम्बद्धता / 17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय / समिति) के द्वारा प्रस्तुत / विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 578 / 999 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15 / 03 / 2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15 / 03 / 2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10 / 04 / 2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000 / – के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3.द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों / दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	यश शिक्षा एवं सेवा समिति करोदिया सीधी
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	यश इंस्टी0 आफ प्रोफेशनल स्टडीज, खाम जिला सीधी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	––
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बीबीए –तृतीय बीसीए, तृतीय, बीएससी द्वितीय बाटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। बी0ए द्वितीय अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिशास्त्र कम्प्यूटर
5	आदेश कमांक – 578 / 999 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15 / 03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	वि0वि0 की संबद्धता , कोड 28 के दस्तावेज, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज, यूजीसी वेतनमान, ईपीएफ कटात्रा , धारा 27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची अप्राप्त।
6	आदेश दिनांक 10 / 04 / 2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	वि0वि0 की संबद्धता , कोड 28 के दस्तावेज, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज, यूजीसी वेतनमान, ईपीएफ कटात्रा , धारा 27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची अप्राप्त।

–––––2.

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियों की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर प्रकियाधीन है।	
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बीबीए –तृतीय बीसीए, तृतीय, बीएससी द्वितीय बाटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बी0ए द्वितीय अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र,राजनीतिशास्त्र कम्प्यूटर
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	––– निरंक–––

4. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि:–

(1) संस्था द्वारा एक माह में कॉलेज कोड 28 में अपेक्षित समस्त नियुक्तियां अनिवार्य रूप से कर ली जाय अन्यथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त माना जायेगा।

(2) उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश कॉलेज कोड 28 में अपेक्षित समस्त नियुक्तियां करनें के उपरान्त ही दिये जायेंगे।

5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

6. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक– 1350/189/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा , (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

–––की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक–30/04/2017.

क्रमांक–1353/282/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इरीस कार्यालय के आदेश कमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	मैहर विकास एवं जनकल्याण समिति, मैहर जिला सतना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	मैहर कालेज आफ कम्प्युटर टेक्नोलॉजी एण्ड मैनजमेंट, सतना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0–कम्प्युटर, भूगोल राजनीति प्रथम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0बी0ए0–द्वितीय
5	आदेश कमांक – 578/999/ आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	कालेज कोड–28 में नियुक्तियॉ नहीं, धारा–27 में नवीन सदस्यों की अनुमोदित सूची, ईपीएफ कटोत्रा, के दस्तावेज अपूर्ण है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है, धारा 27 की वैध सूची नहीं है।

––––2.

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है।

8 **द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय**

आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	---- निरंक----
आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0–कम्प्युटर, भूगोल राजनीति प्रथम बी0बी0ए0–द्वितीय

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक– 054/282/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा , (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
---की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक–30/04/2017.

क्रमांक–1351/315/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इरीस कार्यालय के आदेश कमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	द्वारिका प्रसाद सोहगोरा समिति रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	महारानी लक्ष्मीबाई कालेज ऑफ टेक्नालॉजी इटौरा रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0एस0सी प्रथम बॉटनी, जूलॉजी,
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एस0सी तृतीय भौतिक, गणित, रसायन, अति0 कम्प्यूटर
5	आदेश कमांक – 578/999/ आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	कालेज कोड 28 में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं, अग्रणी महा0 से 50 प्रतिशत का प्रमाण पत्र नहीं, ईपीएफ कटोत्रा धारा 27 में नवीन सदस्यों की सूची।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है।

––––2.

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है।	
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	––– निरंक–––
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0एस0सी तृतीय भौतिक, गणित, रसायन, अति0 कम्प्यूटर बी0एस0सी प्रथम बॉटनी, जूलॉजी,

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक-1352/282/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा , (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
–––की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक–30/04/2017.

क्रमांक–1347/178/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इरीस कार्यालय के आदेश क्रमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	एक्सीलेंसी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसा सतना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	चन्द्रकली कन्या महा0 सतना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0–प्रथम–कम्प्युटर, राजनीति, अर्थशा. हिन्दी एम0एस0डबल्यू–प्रथम पीजीडीसीए
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	––
5	आदेश क्रमांक – 578/999/ आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	निकटवर्ती कुछ महा0 में 50 प्रतिशत से प्रवेश कम है, कालेज कोड–28 में नियुक्तियॉं, धारा–27 की वैद्य सूची नही, ई.पी.एफ. कटौत्रा पत्रक, आवेदित पाठ्यक्रमों का शुल्क अंतिम तिथि के पूर्व जमा नहीं है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	संस्था में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है, केवल चयन समिति का गठन हुआ है। मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार 50 प्रतिशत से कम प्रवेश होने के कारण नवीन पाठ्यक्रम अमान्य।

––––2.

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	1. निरन्तरता के पाठ्यक्रम कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं होनें से अमान्य। 2. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में कोड 28 में नियुक्तियां पूर्ण नहीं होने तथा अग्रणी महाविद्यालय के प्रमाण–पत्र अनुसार प्रवेश 50 प्रतिशत से कम होने से नवीन पाठ्यक्रम अमान्य योग्य है।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम — निरंक—
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम — बी0एस0सी तृतीय भौतिक, गणित, रसायन, अति0 कम्प्यूटर बी0एस0सी प्रथम बॉटनी, जूलॉजी,

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–1348/178/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।

3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।

4– कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा , (म0प्र0)।

5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।

6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

———की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.